

(क) वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक:-

[illegible]

			वेदलॉग (SC)	वेदलॉग (S)
--	--	--	-------------	------------

[illegible]

(क) वारिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक:-

[illegible]

			बैकलॉग	
--	--	--	--------	--

[illegible]

(क्रमशः)

(क) वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक:-

(ख) बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक:-

(2) अनुसूचित क्षेत्र -

(क) वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक:-

(ख) बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक:-

नोट:-

विशेष सूचना:-

- [illegible]

राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्रमिक/क-2/91 पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार रावत जिले में सहस्रिया जाति के लिये निर्धारित अस्खन का लाभ देव होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में भवना जायेगा।

12. भूतपूर्व सैनिकों हेतु:-
(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आवस्यत पदों पर लाभ देय नहीं होगा।

- (ख) भूतपूर्व सैनिक :-
- (1) प्रतिष्ठा (धन, पल, वायु सेवा) सेवाओं से सेवानुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवानुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।
 - (2) प्रतिष्ठा सेवा से सेवानुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे परकाशवर्ती नियोजन के लिए अर्हक बना दे।

- **भूमूर्त सैनिकों को आर्यभट्ट राजवंश सशिल सेना (भूमूर्त सैनिकों का आंदोलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूमूर्त सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आवंटित है।** कांफिस नियमों के अंग्रेजी अनुवाद में 07.12.2022 के अनुसार भूमूर्त सैनिकों को निवे शिफार्सों के अनुसार सीधी सीमा में पर्यवर्त (सीडिंग) होता। किसी भी शिफार्स में उपर्युक्त भूमूर्त सैनिकों की अनुमतिवांकी की रक्षा में, उनके निवे इस प्रकार आवंटित शिफार्सों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वही जांचगी वही शिफार्सों के सशिल संस्था अपने माते वरें व अगली को जांचगी वही का परामर्श देती शिफार्सों वगणगी व जांचगी। भूमूर्त सैनिकों के शिफार्स काफिस नियमों की अधिरुद्धा नियम 22.12.2020 व सीमित जांचगी व जांचगी को लागू होगी।

- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5(18) सीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। एकत अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]

उत्कृष्ट शैलाकी सम्पत्ती प्राप्ति :- कार्यक्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफएन(डी)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट शैलाकी' से ऐसी शैलाकी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य की मूल निवासी है और जिसकी :-

1. सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/विषयमन्त्रिण में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	दूरदर्शक / वीडियोवीथी का नाम
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइ.ओ.सी.)	ओलंपिक मेगा (थिम्कलकटन)
2	एशिया ओलंपिक समिति (ओ.सी.ए.)	एशियन मेगा
3	इसिया एशियन ओलंपिक समिति (इ.ए.ए.ओ.सी.)	इसिया एशियन मेगा, जो सामान्यतः एशिया मेगा के नाम से जाना जाता है।
4	अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्थान	राष्ट्रमंडल मेगा
5	एशिया ओलंपिक समिति के संबद्ध एशियन खेल संस्थान	मिथ्र वन / मिथ्र वीडियोवीथी
6	एशिया ओलंपिक समिति के संबद्ध एशियन खेल संस्थान	एशियन वीडियोवीथी
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल संस्थान (आई.एस.एस.एस.सी.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल मेगा / वीडियोवीथी
8	एशियन स्कूल खेल संस्थान (इ.एस.एस.सी.)	एशियन स्कूल मेगा / वीडियोवीथी

4

(कृपयाः)

- (क्रमशः)

में अर्थात् अर्थात् का नाम, पिता का नाम, उम्र तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगुला का निशान व हस्ताक्षरि मनुष्य को **परीक्षित नहीं कर पाएगा।** शेष सभी प्रक्रियाएँ में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।

- ii. यदि किसी अर्थात् के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश त्रुटि संशोधन के प्रथम अवसर में अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात 07 दिवस हेतु प्रदान किया जाएगा। इस अवधि में ऑनलाईन आवेदन में अर्थात् स्वयं का नाम, पिता का नाम, उम्र तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगुला का निशान व हस्ताक्षरि मनुष्य तथा शैक्षणिक योग्यता के अंतिम शेष प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु इस अवधि की दिनांक एवं समय की सूचना एकत्र से वेब की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। उक्त निर्धारित समय में अर्थात् अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित सांशोधन शुरू का मुताबिक कर संशोधन कर सकेगा।

- iii. इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का समुपूर्ण दायित्व अर्थात् का होगा।

- iv. **विस्थापन के अर्थात्**—ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे एवं त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात् कोई अर्थात् आकांक्षिक रूप से किया हो जायेंगे है तो उसे परीक्षा के परीणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए उसे किया हो अक्षर काई, मनुष्य नामा-पत्र, लिख दस्तावेज (यथा सार काई, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मातापिता पत्र, आधार काई, जी के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) मूल 300/- रुपये शुल्क भुगतान करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के उप से अधिक प्रयास होने पर प्रथम प्रयास की परीक्षा उपरान्त अर्थात् विस्थापन हेतु है तो वर्ग परिवर्तन का तम अपने वाले परीणाम (Prospective Effect) से ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परीणाम को इस आधार पर रद्द/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।

18. ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया—

वेब द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरान्त भी अगर अर्थात् द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र दिया है अर्थात् किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा चाहता है तो ऐसे आवेदकों को परीक्षा आयोजन से हटाया 31 माह पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) करने हेतु 03 दिवस के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु चुपचा चुपच से वेब की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। आवेदन SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal पर प्रयास कर My Recruitment Section के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार बांँधित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अर्थात् को विरुद्ध वेब द्वारा पात्रता जांच उपरान्त निधि समाप्त कार्यवाही की जायेगी।

19. विशेष योग्यजन/विद्यमान अर्थियों को श्रुतलेख/बतियुक्त समय उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विशेष निर्देश—

1. अर्थात् द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में विद्यमान/विशेष योग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेख संबंधी विवरण का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेख की सुविधा प्राप्त करने के लिए पत्र/योग्य है। श्रुतलेख की सुविधा प्राप्त करने के लिए अर्थात् को वेब द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अर्थात् अर्थात् को श्रुतलेख की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे विद्यमान अर्थात् जो स्वयं का श्रुतलेख ताना चाहते हैं, उन अर्थियों को **परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व** विद्यमानता का घोषित विकल्पता प्रमाण-पत्र, अर्थात् एवं श्रुतलेख का चयन-पत्र, श्रुतलेख के फोटो पत्राचय व वैधानिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधिक को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे विद्यमान अर्थात् जो वेब/केन्द्राधिक से श्रुतलेख प्राप्त करना चाहते हैं, उन अर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व विद्यमानता का घोषित विकल्पता प्रमाण-पत्र, अर्थात् का चयन-पत्र केन्द्राधिक को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निराश्रित) की द्विविधा (Blindness) लेसेमेटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निराश्रित—Both Arms) एवं सेरेब्रल पैराली श्रेणी वाले अर्थात् द्वारा कार्य परियोजना का विकल्पता प्रमाण-पत्र, अर्थात् एवं श्रुतलेख का चयन-पत्र के आधार पर श्रुतलेख की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अंतर्गत Section-2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य विकल्पता एवं स्वास्थ्य अधिकार/विकल्पता अधिक से अनुमति प्रमाण-पत्र (वेब की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C) दिनांक का विकल्पता प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेख का चयन-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेख की सुविधा देय होगी और/या क्षैतिगुरु समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निराश्रित) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य विकल्पता एवं स्वास्थ्य अधिकार/विकल्पता अधिक से अनुमति प्रमाण-पत्र (वेब की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं विद्यमानता का विकल्पता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेख की सुविधा और/या क्षैतिगुरु समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अर्थियों को श्रुतलेख की सुविधा और/या क्षैतिगुरु समय प्राप्त करने के लिए परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ अर्थात् से सम्पर्क करना होगा अर्थात् श्रुतलेख की सुविधा और/या क्षैतिगुरु समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेख किसी भी परीक्षा में एक बार ही देने हेतु अनुमति होगा। श्रुतलेख के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण पत्रों का वेब की वेबसाइट पर अवलोकन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेख संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

20. अर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

- i. कर्मिक विभाग द्वारा जारी परीण दिनांक 22.08.2024 द्वारा पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जायेगी। अर्थियों की पात्रता के संबंध में समुचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।
- ii. **आवेदन डाटा ऑनलाईन आवेदन/OTA में नहीं गई शैक्षणिक एवं दृष्टिकोण योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में दृष्टिकोण के अतिरिक्त अन्य स्वयं/परिवर्तित/पत्र से प्राप्त डिग्री/डिग्री/कोष/मात्र नहीं किया जायेगा।** अतः आवेदन साक्षात्परीकृत अर्थात् शैक्षणिक योग्यता ऑनलाईन आवेदन में भरे।

- iii. अर्थियों को वर्ग विशेष हेतु अंतिम पत्रों का तम तभी देय होगा जब उनमें मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अर्थात् निष्पन्नानुसार निष्पत्ति हेतु पत्र है।

- iv. अंतिम पत्रों हेतु अर्थियों को राजस्थान राज्य में स्थित अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होगा।

- v. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.01.2022 के अनुसार आवेदन को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का तम तब ही देय होगा जबकि आवेदन का उक्त प्रमाण पत्र इस पत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सम प्रतिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अर्थियों को उनके वर्ग में आसक्त का तम, प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अर्थात् के पास सम प्रतिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। **अतः पत्रों हेतु अर्थात् की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।**

कर्मिक विभाग के परिण दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिण के अंत में निम्न प्रत्युक्त जांच गया है:-

“यदि किसी वर्गों में अर्थात् द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अर्थात् से इस आधार का एक समय-पत्र लिखा जायें कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता या तथा वह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी निष्पत्ति निरस्त की जा सकेगी।”

vi. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि— सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-

- i. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि बीस वर्षों तक होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा परन्तु, किसीवेर में नहीं होने संबंधी तथ्य का तीन वर्ष के विधि समग्र समय-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

- ii. किसीवेर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किसीवेर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किसीवेर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे स्थायित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

- iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिण दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का तम देय होगा।

- vii. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम निवास एवं आय के आधार पर सम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का तम देय होगा। पति के नाम निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- viii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरी अंतिम जाति का प्रमाण पत्र निम्नानुसार स्वयं अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ होना चाहिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरी आदि जाति की विवाहित महिला आवेदन को इन वर्गों के लिये आवेदन पत्रों का तम प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सम अधिकारी द्वारा निम्नानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का तम देय होगा। पति के नाम निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- ix. कर्मिक रूप से कमजोर वर्ग के अर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिण अंकांक एफ111/आ.क.अ/बीबीसी/सामाजिक/19/20046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा पत्र निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी अधिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से स्थायित सत्यन शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।

- x. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता, आय, वैधानिक स्थिति, परिवारका, भूगर्भ सौकर, उत्कृष्ट चिकित्सी, विशेष योग्यता संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

- xi. अनुसूचित श्रेणियों के पत्रों हेतु आर्थिक पत्रों का तम ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का सत्य पत्र से जारी संबंधित प्रमाण पत्र/पत्र ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

- xii. उत्कृष्ट चिकित्सीय के पत्रों हेतु सम तम से जारी लेख प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट चिकित्सीय को पत्रों का तम देय होगा।

- xiii. विस्थापन में आवेदन करने वाली महिला अर्थात् के पात्र पति का मनु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिख ऐसा दस्तावेज/सत्य विवरण उसके पति का नाम अधिक हो तथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार काई, सत्य काई, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मातापिता पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

- xiv. परिवारका/विवाह विधिवत श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अर्थात् के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विवेक की डिग्री/बेस प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

- xv. शासन के परिण अंकांक एफ111/आ.क.अ/बीबीसी/सामाजिक/19/20046 दिनांक 22.06.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-परीक्षण करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- xvi. विवाहित महिलाओं के लिये सत्य संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परिवारका श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक प्रत्येक वर्ष की जांच के संबंधी या परिवारका श्रेणी में होने संबंधी सत्य पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- xvii. अर्थात् को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी बतियुक्त प्रमाण पत्र या सम प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें बतियुक्त के संबंध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख/अधिक होना आवश्यक होगा। अर्थात् को दो राजकीय अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम बतियुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।

- xviii. अर्थात् को सत्य सत्यापन आधार संबंधी पुनः सत्यापन प्रमाण पत्र या सम नियुक्ति प्रतिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदन के विरुद्ध ऐसी किसी आचारिक घाटा का उल्लेख नहीं होगा बाधित विवरण से सत्य राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आचारिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/बाध मायिक रूप से विचारणीय होने पर कर्मिक विभाग के परिण अंकांक एफ111/आ.क.अ/बीबीसी/सामाजिक/19/20046 दिनांक 04.12.2019 के प्राधानुसार अर्थात् की पात्रता का निर्णय किया जायेगा।

- xix. अर्थात् को सत्य सत्यापन आधार संबंधी पुनः सत्यापन प्रमाण पत्र या सम नियुक्ति प्रतिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। कि वह पूर्व रूप से सत्य है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।

- xx. ऐसे आवेदन को पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय अंतिम उद्यमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संलग्न में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, एवं नियुक्ति के समय अपने नियोजका का अनुरोध प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदन पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उद्यमों में कार्यरत है, एवं अपने नियोजका को इस पत्रों हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनुरोध प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनुरोध प्रमाण-पत्र के अंतर्गत में अर्थात् को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर न्यून-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बंधी आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

- xxi. उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर र्ण विशेष का तम देय नहीं होगा।

- xxii. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध काई गैर सूचना के आधार पर ही अर्थियों की पात्रता जांच, परीक्षा परीण जारी किये जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के समय दी जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त सत्य सत्यापन एवं आवेदन का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अर्थात् अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदन के विरुद्ध निष्पन्नानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित सत्यापन की रोकथाम—

आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंतिम करनी चाहिए और परीक्षाओं को केन्द्राधिक/अतिरार/वेब द्वारा नियुक्त अधिकारी अर्थात् कर्मचारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्य पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अर्थात् परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुरोध व्यापार करने एवं परीक्षा में अनुरोध सत्यापन का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षाओं के विरुद्ध वेब/केन्द्राधिक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षाओं के विस्तार सत्यापन सार्वजनिक परीक्षा (पत्रों में अनुरोध सत्यापन की रोकथाम के अन्तर्गत) अधिनियम 2022 के अंतर्गत एवं वेब द्वारा निर्धारित “Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination” तथा “The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016” के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षाओं में रोकथाम किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (पत्रों में अनुरोध सत्यापन की रोकथाम के अन्तर्गत) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्राधानों के तहत तथा वर्गीकृत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुरोध सत्यापन का प्रयोग/उपयोग करने या उक्त सहाय लेने, अर्थात् प्रेरण, प्रत्य-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अर्थियों के लिए कठोर कानून का प्रवर्णन किया गया है। अनुरोध सत्यापन में लिख परीक्षाओं के लिए तीन वर्ष तक के कठोर सत्यापन एवं रुपये 1,00,000/- (अक्षर एक लाख) मूल्यन वर्धन के प्राधान्य किए गए हैं। परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा सत्य व अर्थियों का अधिनियम वर्गीकृत अनुरोध सत्यापन में लिख लेने पर दण्डित करने पर मूल्यन जीव वर्ष के सत्यापन जो कि पत्र वर्ष तक हो सकता है एवं मूल्यन रुपये 10,00,000/- (अक्षर दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्राधान्य किए गए हैं। दोष सिद्ध पर दो वर्ष की कारावाही के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्राधान्य किए गए हैं। उपर्युक्त अधिनियम की विधि अनुसार कठोर पालन सुनिश्चित की जायेगी।

(क्रमशः)

22. परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-

Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Senior Computer Instructor:-

The examination shall carry 200 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 100 marks and paper-II shall be of 100 marks.

Paper -I

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects :-
 - (i) Art & Culture, History, Geography, General Science and Current Affairs of Rajasthan.
 - (ii) General Ability shall include following point :-
 - A. Logical Reasoning and Analytical Ability.
 - B. Decision Making and Problem Solving.
 - C. General Mental Ability.
 - D. Basic Numeracy - Numbers and their relations, orders of magnitude, etc. (Class X level)
 - E. Data Interpretation - Charts, Graphs, Tables, Data Sufficiency, etc. (Class X level)
5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third** (1/3) of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choices given for a question.

6. The Minimum qualifying marks shall be 40% Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Syllabus and Scope of Papers:- The Syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/Board/Appointing Authority as the case may be, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

Paper -II

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
 2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
 3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
 4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third** (1/3) of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
- Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choices given for a question.
5. The Minimum qualifying marks shall be 40% Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6. Paper shall include following subjects:-
- (i) Pedagogy
 - (ii) **Mental Ability:** Decision making and Problem solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning and Analytical Ability, Major developments in the field of Information Technology.
 - (iii) **Fundamentals of Computer:** Number system, arithmetic operations, introduction to various categories of computer language, functional details of Input and Output devices.
 - (iv) **Programming Fundamentals :** C, C++, Java, DotNet, Artificial Intelligence (AI), Machine learning, Python and Block Chain, programming, data types (Built in and user defined), Scope of variables, precedence of operators, control flow, functions, arrays pointers, structures and unions, enumerated data-types and file handling, command line arguments.
 - (v) **Object Oriented Programming using C++ and JAVA:** Objects and classes. Inheritance, polymorphism, event and exceptions handling, files and streams.
 - (vi) **Data structures and Algorithms:** Abstract data types, Arrays as data structures, linked list v/s array for storage, stack and stack operations, queues, binary trees, binary search trees, graphs and their representations, sorting and searching, symbol table.
 - (vii) **Algorithms:** Tree traversals, Branch and bound and greedy methods, complexity of algorithms.
 - (viii) **Digital Logic Systems:** Boolean expressions, K-maps, TTL and CMOS logic families, combinational logic design using half/full adders, Sub tractors, and multiplexer, synchronous sequential system design
 - (ix) **Computer Organization and Architecture:** Von-Neumann architecture of computers. Registers and micro operations, control logic, processor addressing and bus organization. Processor input/output and DMA. Memory organization and cache coherence.
 - (x) **Operating Systems:** CPU scheduling, Deadlocks, Memory management, file systems, disk scheduling. Concept of Client server architecture in distributed environment and RPC. Process, threads and their synchronization.

Real Time OS: clock synchronization and task scheduling.

System initialization, booting and handling user accounts. Backup and restore, Bourne shell programming for Linux.
 - (xi) **Database Management System:** E-R models, Relational algebra, calculus and databases, Integrity constraints, triggers, normalization, and indexing. Transaction processing, concurrency control and Relational Database Management System (RDBMS).

- (xii) **Software Engineering:** Phases of System Development Life Cycle. System modeling, Software requirement specifications and DFDs. Introduction to software testing, software project management.
- (xiii) **Data and computer networks:** Evolution of Networking, Data Communication terminologies, Transmission media, Network devices, TCP/IP & OSI/ISO reference models, functions of different layers, characteristics of physical media, multiplexing in physical layer, medium access protocols, introduction to 802.3, 802.4, 802.5, 802.11 LAN technologies, IP protocol including routing and congestion control, TCP and UDP, DNS.
- (xiv) **Network Security:** Groups, rings and fields in finite space, Euler and Fermat's theorem, primality testing, security services and mechanisms, symmetric and asymmetric encryption including DES, AES, IDEA, RSA algorithms, key management in symmetric and asymmetric encryption, message authentication and hashing, email security, viruses and trusted systems, Networking (LAN&WAN), Security, Ethical Hacking.
- (xv) **Basics of communication:** Channel capacity, attenuation, communication impairments, propagation of EM waves through free space (excluding free space models), PCM and delta modulation, WDM, brief introduction to GSM and CDMA based communication systems.
- (xvi) **Web Development:** HTML/DHTML, Web Page Authoring Using HTML, Document Object Model Concept and Importance of Document Object Model, Dynamic HTML document and Document Object Model. Introduction to Cascading Style Sheet (CSS), Extensible Markup Language (XML), Basic of PHP and Java Script.

Syllabus and Scope of Papers:- The Syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/Board/Appointing Authority as the case may be, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Basic Computer Instructor:-

The examination shall carry 200 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 100 marks and paper-II shall be of 100 marks.

Paper -I

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
 2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
 3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
 4. Paper shall include following subjects:-
 - (i) Art & Culture, History, Geography, General Science and Current Affairs of Rajasthan.
 - (ii) General Ability shall include following point :-
 - A. Logical Reasoning and Analytical Ability.
 - B. Decision Making and Problem Solving.
 - C. General Mental Ability.
 - D. Basic Numeracy - Numbers and their relations, orders of magnitude, etc. (Class X level)
 - E. Data Interpretation - Charts, Graphs, Tables, Data Sufficiency, etc. (Class X level)
 5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third** (1/3) of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
- Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choices given for a question.
6. The Minimum qualifying marks shall be 40% Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
 7. Syllabus and Scope of Papers:- The Syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/Board/Appointing Authority as the case may be, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

Paper -II

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
 2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
 3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
 4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third** (1/3) of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
- Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choices given for a question.
5. The Minimum qualifying marks shall be 40% Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6. Paper shall include following subjects:-
- (i) Pedagogy
 - (ii) **Mental Ability:** Decision making and Problem solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning and Analytical Ability, Major developments in the field of Information Technology.
 - (iii) **Fundamentals of Computer:** Overview of the Computer System including input-output devices, pointing devices, and scanner. Representation of Data (Digital versus Analog, Number System - Decimal, Binary & Hexadecimal), Introduction to Data Processing, Concepts of files and its types.
 - (iv) **Data Processing:** Word Processing (MS-Word), Spread Sheet Software (MS Excel), Presentation Software (MS Power Point), DBMS Software (MS-Access).
 - (v) **Programming Fundamentals:** Introduction to C, C++, Java, DotNet, Artificial Intelligence (AI), Machine learning, Python and Block Chain, Principles and Programming Techniques, Introduction of Object Oriented Programming (OOPs) concepts, Introduction to "Integrated Development Environment" and its advantages.

(क्रमशः)

सत्यधिकारी, गोजगांव सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मूलक रूप निदेशक (प्रकाशन) द्वारा डीपी कोर्पोरेशन लि. 10, जेल्लामन मार्ग, जयपुर, फोन - 01416658888 (भस्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवालयमारा, टोक रोड, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गेयनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक- डॉ. संजोय मोलंकी